न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(पूर्ण पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–159/2014–15

कमलेश्वर महादेव मन्दिर महन्त आशुतोष पुरी

–बनाम–

श्रीमती लक्ष्मी देवी पुरी

उपस्थितः 1.श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

2.श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून

3.श्री धीराज गर्ब्याल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक) राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता : श्री एस0के0 सुन्द्रियाल।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री प्रेमचन्द शर्मा। ।

बावत

मौजा पुराना श्रीनगर(तोक कमलेश्वर), पट्टी कटलस्यूं, परगना देवलगढ़ तहसील व जनपद पौडी गढ़वाल।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विद्वान मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा द्वितीय अपील संख्या–103/2007–08 अन्तर्गत धारा–331 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम श्री कमलेश्वर महादेव मन्दिर, श्रीनगर गढ़वाल बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी पुरी में पारित निर्णयादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदात्री श्रीमती लक्ष्मी देवी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–229बी के अन्तर्गत श्री कमलेश्वर महादेव मन्दिरै एवं अन्य के विरूद्व वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, श्रीनगर गढ़वाल के समक्ष योजित किया था जिसे सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 29–11–97 से वाद निरस्त किया गया और इस निर्णयादेश के विरूद्व अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष अपील योजित हुई जो निर्णयादेश दिनांक 23–06–98 से स्वीकार होकर प्रकरण सहायक कलेक्टर को विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया जिसके उपरान्त पुनः सहायक कलेक्टर के निर्णयादेश दिनांक 07–08–99 से श्रीमती लक्ष्मी देवी का वाद निरस्त हुआ। इस निर्णयादेश के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष अपील योजित हुई और निर्णयादेश दिनांक 15–11–2002 से प्रकरण पुनः वाद की विधिवत सुनवाई हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, श्रीनगर गढ़वाल को प्रेषित किया गया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, श्रीनगर

गढ़वाल ने निर्णयादेश 16 अगस्त, 2004 से वादिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी को वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किया गया। सहायक कलेक्टर के निर्णयादेश दिनांक 16–08–2004 के विरूद्व पुनर्विलोकनकर्ता ने आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष प्रथम अपील योजित की गई जो निर्णयादेश दिनांक 15–07–2008 से निरस्त हुई। विद्वान आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी के निर्णयादेश दिनांक 15–07–2008 के विरूद्व द्वितीय अपील विद्वान मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद ने अपने निर्णयादेश दिनांक 06–08–2013 से विस्तृत विवेचना करते हुए निरस्त कर दिया जिसके पुनर्विलोकन हेतु यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने विद्वान मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रश्नगत निर्णयादेश दिनांक 06–08–2013 एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों में रक्षित अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना।

विद्वान अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि द्वितीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि प्रतिउत्तरदाता द्वारा सार्वजनिक धर्मस्व की सम्पत्ति को प्रतिकूल कब्जे के आध्शार पर स्वंय का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर घोषित करवा दिया गया जबकि सार्वजनिक धर्मस्व की सम्पत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते। मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा अपने निर्णयादेश में यह विवेचना की गई कि पर्याप्त तामीली के पश्चात भी पुनर्विलोकनकर्ता/अपीलार्थी द्वारा कोई रूचि नहीं ली गई। विधि में निहित सारभूत विधिक प्रश्नों को ही विवेचित किया जा सकता है तथा तथ्यों को सारभूत विधिक प्रश्नों के निस्तारण हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मन्दिर की सम्पत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते जिस कारण पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने एवं द्वितीय अपील स्वीकार होने एवं द्वितीय अपील में पारित मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद का आदेश 06–08–2013 निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि पूर्व मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद ने अपने निर्णयादेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि अपीलार्थी/पुनर्विलोकनकर्ता ने विचारण न्यायालय में पर्याप्त तामीली के बावजूद वाद में कोई रूचि नहीं दिखाई और न ही प्रतिउत्तरदाता के दावे का कोई विरोध किया जिसके फलस्वरूप सहायक कलेक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री कर दिया। विद्वान आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील भी कालबाधित थी जो पोषणीय नहीं पाई गई जिस कारण वह निरस्त हुई। द्वितीय अपील में पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में कोई बल न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में पूर्व मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वितीय अपील संख्या–103/2007–08 श्री कमलेश्वर महादेव मन्दिर, श्रीनगर गढ़वाल बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी पुरी में पारित निर्णयादेश दिनांक 06–08–2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह निर्णयादेश सभी बिन्दुओं के परीक्षण एवं विस्तृत विवेचना के उपरान्त पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई

कारण/बिन्दु परिलक्षित नहीं होता है जिसके आधार पर द्वितीय अपील में पारित निर्णयादेश दिनांक 06–08–2013 को खण्डित करने अथवा परिवर्तित करने की आवश्यकता हो।

अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलहीन होने के कारण प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(प्रकाश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 02.02.16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।